न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 96 / 2021

1 श्रीमती उच्छव कंवर पत्नी श्रवण सिंह।

2 हिम्मत सिंह (फौत)।

2/1 जसोदा कंवर पत्नी हिम्मत सिंह।

2/2 महीपाल सिंह पुत्र हिम्मत सिंह।

2/3 धर्मपाल सिंह पुत्र हिम्मत सिंह।

2/4 सोहनपाल सिंह पुत्र हिम्मत सिंह।

3 जगमाल सिंह पुत्र श्रवण सिंह।

4 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खुड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 महावीर सिंह पुत्र भागीरथ सिंह।

2 उदय सिंह (फौत)।

2/1 महेन्द्र सिंह पुत्र उदयसिंह।

2/2 हुक्म सिंह पुत्र उदयसिंह।

2/3 पूर्ण सिंह पुत्र उदयसिंह।

3 होशियार सिंह पुत्र भागीरथ सिंह।

4 कर्णसिंह पुत्र भागीरथ सिंह।

5 श्रीमती उच्छव कंवर पुत्री श्रीमती संमदर कंवर पत्नी रूपसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खुड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

6 हल्का पटवारी खुड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

7 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ मुकदमा नम्बर 59/2015 उनवानी
महावीर सिंह बनाम उदयसिंह वगैरह निर्णय
दिनांक 14.09.2021

उपस्थिति :

1. श्री पोखरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश मुवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने घोषणा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम खुड़ी छोटी तहसील लक्षमणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 124/1, 131/1 के संदर्भ में उद्घोषणा चाही है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादवादी डिक्री कर

भू.प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण के पक्षकारान एक ही परिवार के है, जिन्होंने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह तैय किया है भूमि खसरा नम्बर 124/1 रकबा 1.95 हैक्टर के बाबत दिया गया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दोनों पक्षकारान को स्वीकार होने के कारण उक्त खसरा नम्बर पर दिया गया स्थगन वैकेट करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखते हुए राजीनामा के आधार पर पत्रावली को फैसल फरमाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में खसरा नम्बर 124/1 के संदर्भ में पारित निर्णय यथावत रखा जाता है। शेष निर्णय अपास्त किया जाकर निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 31-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर